Date: 14 जून 2023

SIPRI वार्षिक रिपोर्ट 2023

सिलेबस: जीएस 3 / रक्षा

संदर्भ-

- हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई-सिपरी) ने 2023 के आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति का अपना वार्षिक मूल्यांकन जारी किया है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष-

परमाणु शस्त्रागार

- **नौ परमाणु संपन्न देश** – संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया) और इज़राइल – अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण जारी हैं। रूस और अमेरिका के पास सभी वैश्विक परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है।
- **चीन:** चीन का परमाणु शस्त्रागार जनवरी **2022 में 350 वॉरहेड से बढ़कर** जनवरी **2023 में 410** हो गया, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन के पास वर्ष 2030 तक अमेरिका और रूस के बराबर अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें (आईसीबीएम) हो सकती हैं।
- **भारत और पाकिस्तान:** इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और पाकिस्तान भी अपने परमाणु हथियार बढ़ा रहे हैं और इसके प्रक्षेपण की नई प्रणालियाँ विकसित कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार जहाँ पाकिस्तान भारत को ध्यान में रखकर हथियार विकसित कर रहा है, वहीँ भारत लंबी दूरी की मिसाइलों(पूरे चीन तक पहुँच)के विकास पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। सिपरी (SIPRI) के अनुमान के अनुसार, भारत का परमाणु हथियार 2022 में 160 से बढ़कर 2023 में 164 वॉरहेड हो गया और पाकिस्तान का 165 से 170 हो गया है।
- **उत्तर कोरिया:** उत्तर कोरिया ने 2022 में कोई परमाणु परीक्षण विस्फोट नहीं किया, उसने मिसाइलों के 90 से अधिक परीक्षण किए। इनमें से कुछ मिसाइलें, जिनमें नए आईसीबीएम शामिल हैं, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं।

परमाणु कूटनीति पर रूस-यूक्रेन युद्ध का प्रभाव-

- सिपरी के अनुसार अमेरिका और रूस के संबंधित परमाणु हथियारों (प्रयोग करने योग्य वारहेड्स) का आकार 2022 में अपेक्षाकृत स्थिर रहा, हालांकि यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर दोनों देशों में परमाणु हथियारों के संबंध में पारदर्शिता में कमी आई है।

- रुस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर पारदर्शिता में कमी आई है। अमेरिका ने रूस के साथ द्विपक्षीय रणनीतिक स्थिरता वार्ता स्थगित कर दी जबकि रूस ने फरवरी 2022 में स्टार्ट परमाणु समझौते में सहभागिता से इन्कार कर दिया था। स्टार्ट के तहत परमाणु हथियारों का निरीक्षण और आइसीबीएम व पनडुब्बी वाली मिसाइलों पर सूचना का आदान-प्रदान होता है।

सैन्य व्यय और हथियार उत्पादन-

- **वैश्विक सैन्य व्यय 2022 में लगातार आठवें वर्ष बढ़कर** अनुमानित $ 2240 बिलियन तक पहुंच गया, जो सिपरी द्वारा दर्ज किया गया उच्चतम स्तर है।
- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2018 से 2022 के बीच विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा।

प्रमुख हथियारों का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण-

- पांच साल की अवधि 2018-22 में प्रमुख हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की मात्रा **2013-17 की तुलना में 5.1 प्रतिशत कम और 2008-12 की तुलना में 3.9 प्रतिशत अधिक थी।**
- अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, जो विश्व के कुल हथियार निर्यात का 40 फीसदी निर्यात करता है।
- अमेरिका के बाद रूस (16%) दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। उसके बाद फ्रांस (11%), चीन (5.2%) और जर्मनी (4.2%) हथियार निर्यात करता है।

प्रमुख हथियारों के आयातक-

- पांच सबसे बड़े हथियार आयातक **भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन थे,** जो कुल हथियार आयात का **36 प्रतिशत** हिस्सा थे।
- 2018-22 में प्रमुख हथियारों के आयात की सबसे बड़ी मात्रा प्राप्त करने वाला क्षेत्र **एशिया और ओशिनिया था,** जो वैश्विक कुल का **41 प्रतिशत** था, इसके बाद मध्य पूर्व (31 प्रतिशत), यूरोप (16 प्रतिशत), अमेरिका (5.8 प्रतिशत) और अफ्रीका (5.0 प्रतिशत) थे।

SIPRI के बारे में-

- यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में अनुसंधान हेतु समर्पित है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1966 में स्टॉकहोम (स्वीडन) में हुई थी।
- यह नीति निर्माताओं, शोधकर्त्ताओं, मीडिया और इच्छुक जनता को खुले स्रोतों के आधार पर डेटा, विश्लेषण एवं सिफारिशें प्रदान करता है। इसकी गिनती विश्व के सर्वाधिक विश्वसनीय शोध संस्थानों में की जाती है।

स्रोत: TH

Rajiv Pandey

गोहत्या पर प्रतिबंध

पाठ्यक्रम: **जीएस 2 / भारतीय राजव्यवस्था और उससे संबंधित मुद्दे-**

संदर्भ-

- कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक पशु संरक्षण और वध रोकथाम अधिनियम 2020, को वापस लेने के लिए एक कदम उठा रही है, जिसे पिछली सरकार द्वारा लागू किया गया था।

प्रमुख बिन्दु-

- वर्तमान सरकार 2020 के कानून द्वारा वृद्ध मवेशियों के प्रबंधन और मृत पशुओं के निपटान में व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण किसानों के सामने आने वाली कठिनाइयों के कारण गोहत्या प्रतिबंध को वापस लेने से मुश्किलों का समाधान करना है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 48-

- राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा।

कर्नाटक पशु संरक्षण और वध रोकथाम अधिनियम 2020 क्या है?

- कर्नाटक पशु संरक्षण और वध रोकथाम अधिनियम, 2020, फरवरी 2021 में कर्नाटक में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पारित किया था।
- जिसके तहत बैल, सांड, भैंस और बछड़ों को शामिल करने के लिए गोहत्या पर मौजूदा प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया था।
- कर्नाटक की सरकार द्वारा अधिनियमित कानून, 2021 में लागू हुआ और सभी मवेशियों को खरीदने, बेचने, परिवहन, वध करने, व्यापार करने के लिए अवैध बनाता है।(गाय, बैल, भैंस, बैलों)
- एकमात्र अपवाद 13 वर्ष से अधिक उम्र के भैंसों के लिए हैं और आमतौर पर बीमार मवेशी हैं, लेकिन केवल एक पशुचिकित्सा से प्रमाणीकरण के बाद।
- दोषी पाए जाने वालों को 7 साल तक की कैद हो सकती है, और 50,000 और 5 लाख के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है।

पिछली सरकार ने इतना कड़ा कानून क्यों बनाया?

- पशु वध पर प्रतिबंध आरएसएस, विहिप और अन्य जैसे दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी समूहों की एक प्रमुख मांग रही है, जो पिछली भाजपा सरकार का मुख्य समर्थन आधार हैं।
- साथ ही गाय को हिंदू धर्म में पवित्र पशु माना जाता है।

2020 के कानून के क्या नतीजे रहे हैं?

- 2020 के कानून का कृषि क्षेत्र पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, विशेष रूप से दक्षिणी कर्नाटक में जहां डेयरी फार्मिंग और कृषि काफी हद तक मवेशियों पर निर्भर है।

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

- मवेशियों के वध पर को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है, और ऐसी कई शिकायतें हैं कि जब उनके मवेशी बीमार हो जाते हैं या अनुपयोगी हो जाते हैं तो प्रतिबंध के कारण उनके पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है।
- पारंपरिक मवेशी बाजार धीरे-धीरे बंद हो रहे हैं और मवेशी खरीदने के लिए बहुत कम व्यापारी थे। यदि पशु अनुत्पादक होते तो किसान पहले पशु बेचते थे लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा सकता है ऐसा किसानों द्वारा कहा गया।
- इसके अलावा,ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं, जहां दक्षिणपंथी गौ रक्षकों, जिन्हें नए कानून द्वारा संरक्षित किया गया है- ने वध के लिए केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मवेशियों की आवाजाही को रोकने के लिए कानून अपने हाथों में लेने की घटनाएं भी हुई हैं।

आगे क्या है-

- कर्नाटक सरकार 1964 के कानून की ओर लौटने की मांग कर सकती है, जिसने गायों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन बुढ़ापे, बीमारी और उत्पादकता की कमी की स्थिति में अन्य रूपों के मवेशियों के प्रतिबंधित वध की अनुमति दी थी।
- उम्मीद की जा रही है कि पार्टी इस कदम को धार्मिक मुद्दे के बजाय किसानों की आजीविका और आर्थिक अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होने के रूप में पेश करेगी।

स्रोत इंडियन एक्स्प्रेस

Rajiv Pandey

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com